



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अपहरण करने वाले अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु0अ0सं0-308/2012 धारा-363,366,376 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.मनमोहन प्रसाद पुत्र श्यामलाल निवासी इस्लामपुर थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को धारा 363 भा0द0सं0 में दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
डीजीसी श्री राजेश कुमार
शुक्ला



विवेचक-
निरीक्षक अनिल
कुमार राय



पैरोकार- थाना मझगवां
का0 सर्वज्ञ सिंह